

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला रायपुर (छ.ग.)

मोतीबाग रोड, घड़ी चौक, रायपुर छ.ग.

(e-mail :- cmho\_raipur@yahoo.co.in) – Ph . No. 0771-2535304,2535315,0771-4271058

क्र./सी.एम.एच.ओ./डी.एम.एफ. सवि.नियु./सत्रह/2022/12612

रायपुर, दिनांक 23/05/2023

—:विज्ञापन:—

कार्यालय रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास जिला पंचायत रायपुर के प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक/220151760427 रायपुर दिनांक 02.09.2022, प्रशासकीय स्वीकृति 220121836353 दिनांक 12.09.2022 एवं प्रशासकीय स्वीकृति 220156554459 रायपुर दिनांक 08.12.2022 के अनुसार रायपुर जिले में खनिज न्यास मद से स्वीकृत पदों की भर्ती हेतु जिला पंचायत रायपुर के प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत नवीन पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्ति हेतु निम्न तालिका में दर्शित पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर छ.ग. में रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट एवं रजिस्ट्री से दिनांक 07.06.2023 तक कार्यालयीन समय में सांय 5.30 बजे तक स्वीकार किया जावेगा। अन्य किसी माध्यम से या सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	कार्यक्रम का नाम	पदनाम	समेकित वेतन	रिक्त पद	कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या			कुल रिक्त पदों की वर्गवार संख्या में से केवल महिलाओं के आरक्षित पद			कुल रिक्त पदों में से निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पद	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
					आरक्षित	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	आरक्षित	अ.ज.जा.		
1		दंत शल्य चिकित्सक	27500.00	02	1	1	0	0	0	0	0	BDS Course with registration in CG Dental council.
2		लैब टेक्नीशियन	14000.00	10	7	1	1	1	2	0	0	1) DMLT OR BMLT from recognized Institute and registration in C.G. Paramedical Council. 2) Pathology in Paramedical Course and registration in CG Paramedical council.
3	DMF	स्टाफ नर्स	16500.00	10	6	1	0	3	0	0	0	1 (OL) बी.एस.सी. नर्सिंग/जी.एन.एम. उत्तीर्ण एवं जीवित पंजीयन छ.ग. नर्सिंग काउंसिल
4		एक्स-रे तकनीशियन	15000	1	0	0	1	0	0	0	0	1. किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 12 वी बॉयोलॉजी न्यूनतम 50% प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। 2. पैरामेडिकल कोर्स एक्स-रे तकनीशियन की परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण। 3. छ.ग. मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

नोट:- स्टाफ नर्स एवं एक्स-रे तकनीशियन की बैकलाग पदों की रोस्टर अनुसार भर्ती की जा रही है।

*(Handwritten signatures and marks)*

### आवेदन संबंधी दिशा निर्देश-

1. सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एरा.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होगी।
2. विज्ञापन का आवेदन प्रारूप एवं विज्ञापन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश [www.raipur.gov.in](http://www.raipur.gov.in) में देखा व डाउन लोड किया जा सकता है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही मान्य होगा।
3. आवेदन निर्धारित प्रारूप में पूर्णतः भरकर बंद लिफाफे में दिनांक 07.06.2023 तक कार्यालयीन समय सांय 5.30 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायपुर छ.ग. के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
4. आवेदक को आवेदन करते समय लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, कार्यक्रम का नाम एवं संवर्ग (अनारक्षित, अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.) स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
5. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
6. विज्ञापन जारी करने के उपरान्त निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त ना होने पर या डाक द्वारा विलंब के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. जिला खनिज संस्थान न्यास मद के अंतर्गत विज्ञापित समस्त पद संविदा आधार पर होंगे।

### आयु सीमा-

1. सभी पदों के लिये उम्मीदवार की आयु 01.01.2023 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष (चिकित्सकीय पद) हेतु तथा 64 वर्ष (प्रबंधकीय पद) हेतु होनी चाहिये। शासकीय व अशासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार आयु की छूट की पात्रता होगी।
2. आयु की गणना अनुबंध वर्ष दिनांक 01 जनवरी 2023 के अनुसार की जावेगी।

### संविदा अवधि एवं संविदा नियम:-


1. नियुक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 संविदा आधार 31.03.2024 तक पूर्णता अस्थायी एवं अस्थानांतरणीय है। जो कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों/अधिकारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन कर अनुशांसा, संविदा सेवा की निरंतरता का निर्धारण किया जा सकेगा।
2. संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत स्वीकृत राशि अनुसार देय होगा।

### आवेदन शुल्क:-

1. आवेदन शुल्क का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ग	मानदेय प्रतिमाह ≤25000	मानदेय प्रतिमाह >25000
दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	100 रु.	200 रु.
अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला	200 रु.	300 रु.
अनारक्षित वर्ग	300 रु.	400 रु.

2. आवेदन शुल्क के भुगतान हेतु किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा CHIEF MEDICAL & HEALTH OFFICER RAIPUR के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा।





3. एक से अधिक पदों में भर्ती हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिये अलग-अलग आवेदन एवं निर्धारित शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) प्रस्तुत करना होगा।
4. आवेदन प्रारूप में डिमांड ड्राफ्ट का क्रमांक, दिनांक एवं राशि का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
5. बिना आवेदन शुल्क (डिमांड ड्राफ्ट) के आवेदन करने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

**चयन की प्रक्रिया:-**

1. प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी उपरान्त दावा-आपत्ति हेतु पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य दिशा-निर्देश कार्यालय के सूचना पटल एवं जिले की वेबसाईट [www.raipur.gov.in](http://www.raipur.gov.in) में प्रकाशित किया जावेगा। इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थियों को अन्य किसी भी माध्यम से भर्ती संबंधी पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
2. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका में दिये गये अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन तथा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आहूत किया जावेगा-

क्र.	कुल विज्ञापित रिक्तियों की संख्या	लिखित परीक्षा/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	1 से 10 पद	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना

3. कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेजों एवं एक स्व. प्रमाणित प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1. 10 वी. की अंकसूची जन्मतिथि प्रमाण हेतु।
2. 12 वीं की अंकसूची।
3. निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
4. निर्धारित वांछनीय शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची।
5. छ.ग. मेडिकल/पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जिन पदों हेतु लागू है संलग्न करना अनिवार्य है।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
7. छ.ग. राज्य का मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
9. संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र ( संबंधित कार्य के अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।
10. पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, वोटर आई.डी., पासपोर्ट पैन कार्ड आदि।

4. उपरोक्त समस्त दस्तावेज प्रस्तुत ना करने एवं परीक्षण के दौरान अथवा नियुक्ति उपरान्त किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।

**चयन प्रक्रिया कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार:-**

अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी:-

1. शैक्षणिक योग्यता-65 प्रतिशत, (अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत) (ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिये शैक्षणिक योग्यता 60 प्रतिशत होगा)
2. अनुभव अंक - 10/15/20 अंक(समकक्ष अनुभव)  
(एन.एच.एम. में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिये 03 अंक प्रतिवर्ष, अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये 02 अंक प्रतिवर्ष, अधिकतम 10 अंक )  
(ए.एन.एम./जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिये 04 अंक प्रतिवर्ष, अधिकतम 20 अंक)

3

3. लिखित कौशल/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार – 20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर वेस्ट/स्कील टेस्ट/साक्षात्कार आदि के स्वरूप कौशल परीक्षा ली जावेगी।  
टीप:-1. छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंकों का लाभ दिया जावेगा।

2. एक से अधिक प्रकार के अनुभवों में अधिकतम अंक वाले अनुभव का लाभ दिया जावेगा।

4. कौशल परीक्षा/लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के अंक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जावेगा।  
5. लैब टेक्नीशियन में अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में DMLT/BMLT एवं पैरामेडिकल कौंसिल में पजीयन अनिवार्य को पहले प्राथमिकता दी जावेगी। इस शैक्षणिक योग्यता वाले प्रत्याशी नहीं उपलब्ध होने की दशा में पैथालॉजी कोर्स उत्तीर्ण एवं पैरामेडिकल कौंसिल में अनिवार्य पंजीयन वाले प्रत्याशियों का चयन किया जायेगा।  
6. पदों की शैक्षणिक योग्यतानुसार दंत शल्य चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स एवं एक्स-रे तकनीशियन पद के लिए कौशल लिखित/परीक्षा ली जायेगी, लिखित/कौशल परीक्षा विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में सम्पादित किया जावेगा।

6 (1) – परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 08, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं निःशक्त उम्मीदवार के उत्तीर्ण हेतु न्यूनतम प्राप्तांक 06 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उत्तीर्ण नहीं होने की दशा में लिखित/कौशल परीक्षा में अपात्र माना जावेगा एवं चयन नहीं किया जावेगा। अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आरक्षित प्रवर्ग के उन्ही आवेदकों का चयन किया जावेगा जो अनारक्षित प्रवर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करते हैं।


7. विज्ञापन में प्रकाशित शैक्षणिक योग्यता के क्रम के अनुसार भर्ती में चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी। यदि 02 या 02 से अधिक आवेदकों के कुल प्राप्तांक समान हो जाते हैं तो उनके चयन की प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा-

1. शैक्षणिक योग्यता का भारांश अंक
2. कौशल परीक्षा के अंक
3. आयु (अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता दिया जावेगा)

8. प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 25 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत एवं 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा। ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सकें।  
9. अंतिम चयन सूची व प्रतीक्षा सूची की वैधता प्रकाशन तिथि से आगामी न्यूनतम एक वर्ष या अगली नवीन भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक वैध रहेगी।

भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश:-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2018 के नियमों के अनुरूप किया जायेगा। संविदा भर्ती के संदर्भ में छ.ग. शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संसोधित लागू होंगे।
2. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.आई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य हैं।
3. आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल/स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी स्तर से जारी प्रमाण पत्र मूलतः लाना होगा।
4. जिला रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन आवश्यक है।
5. जाति के संबंध में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
6. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पास-पोर्ट आकार का फोटो स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें।





7. उपरोक्त पदों पर आवेदन के साथ वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त संस्था या विश्व विद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन प्रमाण पत्र स्वयं के द्वारा सत्यापित छायाप्रतिया अनिवार्यता संलग्न करें। एवं संलग्न नही पाये जाने की रिथति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को होगा।
8. अभ्यर्थी को उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. चयन प्रक्रिया का परिणाम कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर की सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा।
10. प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या को घटाया एवं बढ़ाया या निरस्त भी किया जा सकता है।
11. उक्त नियुक्ति का चयन जिला खनिज न्यास मद के अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
12. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध किया जावें, तथा पृष्ठांकन क्रमांक भी अंकित करें, आवेदन पत्र निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें। (1 आवेदन, 2 निवास प्रमाण पत्र, 3 रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, 4 जाति प्रमाण, 5 शैक्षणिक योग्यता, 6 अनुभव प्रमाण पत्र एवं 7. अन्य प्रमाण पत्र)
13. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला खनिज संस्थान न्यास, रायपुर का होगा।
14. आरक्षण जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।
15. उपरोक्त पद जिसमें अनिवार्य अनुभव का उल्लेख है, उक्त पद में अनिवार्य अनुभव के अनुभव वर्ष का ही अंक प्रदान किया जावेगा।
16. आवेदित पद के पात्र-अपात्र की सूची में दावा-आपत्ति हेतु आवेदक द्वारा पंजीयन के समय प्रस्तुत दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज दावा-आपत्ति आवेदन में स्वीकार नही किया जावेगा।
17. केवल शासकीय संस्था से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। एवं कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्रदान किये जावेगे।
18. शासन के प्रावधानुसार उपरोक्त नियुक्ति में महिलाओं, निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा।
19. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत से अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
20. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।
21. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद रहे हो उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला रायपुर छ.ग.






5





आवेदित कार्यक्रम एवं पद का नाम .....



प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
रायपुर (छ.ग.)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : .....
- (अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. माता का नाम : .....
4. अ) जन्म तिथि (अंको में) : .....
- ब) आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति में : वर्ष.....माह.....दिन.....
5. जाति (सामान्य/अनु.जाति/जन.जाति/  
अ.पि.व. वर्ग) (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें) : .....
6. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है या नहीं : .....
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. निवासी जिले का नाम : .....
8. क्या आप दिव्यांग श्रेणी के हैं/नहीं : .....
- यदि हैं—निःशक्तता का प्रतिशत एवं प्रकार : .....
- (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
9. भूतपूर्व सैनिक हैं/नहीं : .....
10. स्थायी निवास का पता : .....
11. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता : .....
- मोबाईल/दूरभाष नं. ....
- ईमेल आई.डी. ....
12. संबंधित कौंसिल का नाम : .....
- पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : .....
13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन : .....
- क्रमांक/दिनांक/स्थान : .....
14. आवेदन शुल्क:- : आवेदन शुल्क रु. 25000/- प्रतिमाह से कम वेतनमान वाले पदों  
के लिए दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु 100/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला अभ्याथी हेतु 200/-एवं  
अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी हेतु 300/- रु. एवं आवेदन शुल्क रु. 25000/- प्रतिमाह एवं रु. 25000 प्रतिमाह से  
अधिक वेतनमान वाले पदों के लिए दिव्यांग/अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थी हेतु 200/- तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला  
अभ्याथी हेतु 300/-एवं अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थी हेतु 400/- रु.। आवेदन शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से  
देय होगा। डिमांड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर के नाम से देय होगा। बिना आवेदन  
शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
15. बैंक ड्राफ्ट का विवरण : डी.डी. क्रमांक .....दिनांक .....
- बैंक का नाम .....राशि .....

16. शैक्षणिक योग्यता

: (वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे)

क्रं.	परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षों का प्राप्तांक	प्रतिशत

17. अनुभव:-

क्र.	संस्था का नाम	पद का नाम	कार्योदेश क्र. एवं दिनांक	कार्य अवधि	वेतनमान
1					
2					
3					

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। जो किसी भी स्थिति में असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त हो जावेगी तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त हो जाएंगे।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम .....

पता .....

.....

संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची व संख्या:-

1. दसवीं/बारहवीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र .....
2. शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची (सभी वर्षों का) .....
3. जाति प्रमाण पत्र .....
4. मूल निवास प्रमाण पत्र .....
5. निःशक्त प्रमाण पत्र .....
6. भूतपूर्व/सैनिक स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित प्रमाण पत्र. ....
7. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति .....अन्य.....
8. काँसिल संबंधी प्रमाण पत्र .....
9. रोजगार कार्यालय संबंधी प्रमाण पत्र .....
10. अनुभव प्रमाण पत्र .....